<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>19.11.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर उप-आंचलिक कार्यालय ने महाराष्ट्र के नागपुर एवं भंडारा जिलों तथा इनके आसपास स्थित विभिन्न रेत घाटों से अवैध रेत खनन एवं परिवहन के संबंध में की जा रही जांच के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत लगभग **16.23 करोड़ रुपये** मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में उच्च श्रेणी के वाहन, भूमि के भूखंड, भवन, फ्लैट, वाणिज्यिक दुकानें, फार्महाउस आदि सहित विभिन्न चल एवं अचल परिसंपत्तियां शामिल हैं। इन संपत्तियों की पहचान उन परिसंपत्तियों के रूप में की गई है, जिन्हें एक संगठित सिंडिकेट द्वारा अवैध रेत खनन गतिविधियों से अर्जित अपराध की आय से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया गया था।

जांच के दौरान ईडी द्वारा इससे पूर्व विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाए गए थे, जिनके परिणामस्वरूप कई आपत्तिजनक दस्तावेजों, अभिलेखों, डिजिटल उपकरणों एवं नकदी की बरामदगी और जब्ती की गई थी। इसके अतिरिक्त, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक खातों में जमा राशि, उच्च श्रेणी के वाहन, जेसीबी मशीनें एवं पोकलेन मशीनों सहित विभिन्न चल परिसंपत्तियों को भी फ्रीज किया गया था। 16.23 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों की नवीनतम अनंतिम कुर्की के साथ, इस मामले में अब तक जब्त, फ्रीज एवं अनंतिम रूप से कुर्क की गई अपराध की आय का कुल मूल्य **20 करोड़ रुपये** से अधिक हो गया है। इन परिसंपत्तियों का कुल वर्तमान बाजार मूल्य **50 करोड़ रुपये से अधिक** होने का अनुमान है।

ईडी द्वारा जांच नागपुर शहर के सदर एवं अंबाझरी पुलिस थानों में नरेंद्र पिंपले एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी के आधार पर प्रारंभ की गई थी। उन पर जाली एवं फर्जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास (ई-टीपी) का उपयोग करके अवैध रूप से रेत का उत्खनन, परिवहन एवं बिक्री करने के लिए संगठित अवैध रेत खनन का संचालन करने का आरोप था।

ईडी द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ है कि संगठित रेत माफिया सिंडिकेट, परिवहनकर्ताओं एवं अन्य सहयोगियों की मिलीभगत से नागपुर तथा आसपास के जिलों में नीलाम किए गए रेतीघाटों से अनुमत क्षेत्रों एवं निर्धारित मात्रा से अधिक रेत का अवैध उत्खनन कर रहे थे। इस प्रकार अवैध रूप से खनन की गई रेत के परिवहन एवं बिक्री को सुगम बनाने के लिए इन सिंडिकेटों द्वारा मध्य प्रदेश में विधिक रूप से पट्टे पर दिए गए रेत घाटों के संबंध में कथित रूप से जारी किए गए फर्जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास (ई-टीपी) 6,000 रुपये से 10,000 रुपये प्रति पास की दर से प्राप्त किए गए थे। इन जाली ई-टीपी का उपयोग अवैध रूप से उत्खनित रेत को इस प्रकार प्रदर्शित करने के लिए किया गया कि मानो उसका स्रोत मध्य प्रदेश के अधिकृत रेत घाट हों। इस प्रकार रेत के परिवहन एवं बिक्री को वैधता का आभास प्रदान किया गया।

यद्यपि ई-टीपी में उल्लिखित वाहन पंजीकरण संख्याएं वास्तविक थीं तथा सरकारी पोर्टल पर भी दर्ज थीं, तथापि जीपीएस डेटा के विश्लेषण से यह स्थापित हुआ कि संबंधित वाहनों ने न तो मध्य प्रदेश के उन कथित रेत घाटों का दौरा किया था और न ही ई-टीपी में दर्शाए गए मार्गों का अनुसरण किया था। इसके बजाय, ये वाहन नागपुर एवं उसके आसपास के अवैध रेत खनन स्थलों से बार-बार आवागमन करते हुए पाए गए। अवैध रूप से उत्खनित रेत के वास्तविक स्रोत

को छिपाने तथा लागू रॉयल्टी एवं करों का भुगतान किए बिना उसके परिवहन एवं व्यावसायिक निस्तारण को सुगम बनाने के लिए जानबूझकर इस कार्यप्रणाली को अपनाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष को भारी क्षति हुई।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।